प्रकरण संख्या 13/2025 हेमराज बनाम श्रीमती सरोज व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
10.12.2025	प्रार्थना पत्र वास्ते आदेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 19 सपठित धारा 152 जा.दी. प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता प्रार्थी श्री सुरेन्द्र चौबीसा ने निवेदन किया कि राजस्व ग्राम की आराजी 322 रकबा तीन बीघा 17 बिस्वा भूमि वर्तमान राजस्व रेकार्ड में विपक्षी सरोज के खातेदारी में दर्ज है। आराजी नंबर 312 रकबा 4 बीघा 3 बिस्वा भूमि प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 2 से 6 के खातेदारी में दर्ज है। विपक्षी संख्या 1 द्वारा अपनी कृषि भूमि में आवागमन के लिए प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 2 से 6 की खातेदारी आराजी नंबर 312 में से रास्ते हेतु धारा 251–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया, जिसका खण्डन प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 2 से 6 द्वारा किया गया, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 2 से 6 के विरूद्ध निर्णय पारित कर दिया। आप न्यायालय द्वारा पत्रावली कैम्प कोर्ट वल्लभनगर में दिनांक 11.12.2024 को रखी जाकर आगामी तारीख पेशी दिनांक 08.01.2025 रखी गयी, किन्तु उक्त दिनांक को प्रार्थी के अधिवक्ता श्री मनीष श्रीमाली अन्य न्यायालय में व्यस्त होने से कैम्प कोर्ट वल्लभनगर में उपस्थित नहीं हो सके एवं प्रार्थी भी आवश्यक कार्य वे बाहर होने से पेशी पर उपस्थित नहीं हो सका, जिससे आप न्यायालय द्वारा प्रकरण अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज कर दिया गया है। प्रार्थी एवं उनके अधिवक्ता की अनुपस्थिति का पर्याप्त कारण है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील संख्या 43/2024 पुनः ग्रहण किये जाने का आदेश फरमाया जावे। उक्त बहस का खण्डन करते हुए विपक्षी संख्या 1 के अधिवक्ता श्री पन्नालाल मारू ने निवेदन किया कि प्रार्थी व उनके अधिवक्ता बावजूद सूचना जानबूझकर कैम्प वल्लभनगर में उपस्थित नहीं हुए। ऐसी स्थिति में आप न्यायालय द्वारा प्रकरण अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया गया, जो विधि सम्मत होने से प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे। हमने उक्त प्रार्थना पत्र पर मनन किया एवं पत्रावली पर का अवलोकन किया। दिनांक 08.01.2025 को प्रार्थी की मूल अपील संख्या 43/2024 अपीलान्ट व उनके अधिवक्ता की अनुपस्थिति के कारण अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज की गयी है। इस संबंध में प्रार्थी के अधिवक्ता का कथन है कि उनके अधिवक्ता श्री मनीष श्रीमाली अन्य न्यायालय में व्यस्त होने से कैम्प कोर्ट वल्लभनगर में उपस्थित नहीं हो सके एवं प्रार्थी भी आवश्यक कार्य वे बाहर होने से पेशी पर उपस्थित नहीं हो सका, जिससे आप न्यायालय द्वारा प्रकरण अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज कर दिया गया है। अतः न्यायहित में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मूल अपील [illegible]/2024 पुनः नंबर पर लिये जाने का आदेश दिया जाता है। Signature Not Verified Digitally signed by Kirti Rathore Date: 2026.01.29 11:09:52 IST Reason: SelfAttested 10.12 (कीर्ति [illegible]ड़) भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर	